B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 1(d)
Topic - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम**-2009
(Right to Edcuation Act-2009)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 89

Continued from previous lecture....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की विशेषताएँ
(Characteristics of Right to Education Act-2009)

6. **सरकार का उत्तरदायित्व** - सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा क 6-14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। साथ ही कमजोर एवं अन्य वर्गों के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवायी जाए। विद्यालय में प्राथमिक ढांचे का विकास, प्रभावशाली शिक्षण-प्रशिक्षण , उत्तम शिक्षण की व्यवस्था भी सरकार करेगी ताकि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके।

7. **स्थानीय अधिकारी के उत्तरदायित्व** - स्थानीय अधिकारी राज्य-सरकार की सहायता से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रसार को पूर्ण करेंगे। यह ये क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करेंगे जहाँ पर कोई भी विद्यालय नहीं है। ये उन बच्चों का रिकार्ड रखेगी जिनकी आयु 6-14 वर्ष है। विद्यालय उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ये पूर्णतः क्रियाशील रहेंगे। यह प्रणाली परिवार के बच्चों को नामांकन को वास्तविक बनाएगी, साथ ही प्रभावशाली शिक्षण के लिए अकादमिक कैलेण्डह को जारी करेगी।

8. **अभिभावकों या संरक्षण का कार्य** - अध्याय-III की धारा-10 के अधीन प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति के विद्यालय में उनका नामांकन कराए।
9. **विद्यालयों के उत्तरदायित्व** - अध्याय-IV की धारा-12(a)के अधीन जो विद्यार्थी विद्यालय में दाखिला लेता है उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। धारा-12(c) के अनुसार 25% आरक्षण कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों तथा अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में होगा। अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि निजी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के बच्चों से ली गई फीस की प्रतिपुष्टि सरकार की ओर से की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से प्रति बच्चा जो खर्च किया जा रहा है या बच्चे की ओर से दी गई फीस जो कम हो, उसकी अदायगी की जाएगी। अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था है कि जिन विद्यालयों को सरकार की ओर से कम कीमत पर भूमि, भवन, उपकरण आदि सुविधाएँ दी गई हैं, वह विद्यालय कमजोर वर्गों के 25% विद्यार्थियों को पढ़ाने के बदले कोई राशि वसूल नहीं करेगा।

To be continued.....